

अनुदान संख्या 4 – परमाणु ऊर्जा
GRANT No. 4 - ATOMIC ENERGY

| | | कुल अनुदान या विनियोग | वास्तविक व्यय | बचत— |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Total grant or appropriation | Actual expenditure | Saving - |
| | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) | | |
| राजस्व: | Revenue: | | | |
| प्रभारित— | Charged- | 1,00,00 | 8,99 | -91,01 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | शून्य Nil |
| स्वीकृत— | Voted- | | | |
| मूल | Original | 13109,36,00 | 13797,63,00 | 13305,02,92 |
| पूरक | Supplementary | 688,27,00 | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | -492,60,08 |
| | | | | 281,50,00 |
| पूंजीगत: | Capital: | | | |
| प्रभारित— | Charged- | 50,00 | .. | -50,00 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | शून्य Nil |
| स्वीकृत— | Voted- | | | |
| मूल | Original | 6505,58,00 | 6877,19,00 | 6762,45,97 |
| पूरक | Supplementary | 371,61,00 | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | -114,73,03 |
| | | | | शून्य Nil |

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत ₹ 91.01 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत विनियोग का 91 प्रतिशत थी।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, saving of ₹ 91.01 lakhs occurred under one head constituting 91 percent of the sanctioned appropriation.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹49260.08 लाख) दिसम्बर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹68827.00 लाख की पूरक अनुदान का 72 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का चार प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹49260.08 lakhs) constituted 72 percent of the supplementary grants of ₹68827.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत— Saving - |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "3451" | Major Head "3451" | | | |
| सचिवालय — आर्थिक सेवाएं | Secretariat -Economic Services | | | |
| मू. | O. | 4865.00 | | |
| पू. | S. | 626.00 | 5620.00 | 5195.30 |
| पु. | R. | 129.00 | | -424.70 |
| मुख्य शीर्ष "2801" | Major Head "2801" | | | |
| विद्युत | Power | | | |
| मू. | O. | 465416.00 | | |
| पू. | S. | 1.00 | 389700.00 | 372726.81 |
| पु. | R. | -75717.00 | | -16973.19 |
| मुख्य शीर्ष "2852" | Major Head "2852" | | | |
| उद्योग | Industries | | | |
| मू. | O. | 307974.00 | | |
| पू. | S. | 35047.00 | 369601.00 | 367906.89 |
| पु. | R. | 26580.00 | | -1694.11 |

| कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

| शीर्ष Head | Head | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| मुख्य शीर्ष “3401” | Major Head “3401” | | | | |
| परमाणु ऊर्जा अनुसंधान | Atomic Energy Research | | | | |
| मू. | O. | 532681.00 | | | |
| पू. | S. | 33153.00 | 586692.00 | 584673.92 | -2018.08 |
| पु. | R. | 20858.00 | | | |

(I) मुख्य शीर्ष “3401” – “अनुसंधान और विकास – डीएई स्कीमें” – ₹679.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹90.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹769.00 लाख किया गया था। तथापि, ₹163.27 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) अनुनेट परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(I) Under Major Head “3401” - “Research and Development - DAE Schemes” - the original provision of ₹679.00 lakhs was augmented to ₹769.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹90.00 lakhs. However, there was a saving of ₹163.27 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards Anunet project.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – परमाणु ऊर्जा विभाग” – ₹4865.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹626.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5491.00 लाख कर दिया गया, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत भत्तों की अदायगी न किए जाने के कारण ₹295.70 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head “3451” - “Secretariat - Department of Atomic Energy”- the original provision of ₹4865.00 lakhs was augmented to ₹5491.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹626.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹295.70 lakhs - due to non-payment of allowances under 7th Central Pay Commission.

(खा) मुख्य शीर्ष “2852” – “परमाणु ऊर्जा उद्योग – परमाणु ईंधन – भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र” – ₹6630.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1623.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹8253.00 लाख कर दिया गया, जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्टाफ को पीआरआईएस-फर्स्ट की अदायगी न किए जाने तथा कम दौरे करने के कारण ₹161.75 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head “2852” - “Atomic Energy Industries -Atomic Fuels- Bhabha Atomic Research Centre” - the original provision of ₹6630.00 lakhs was augmented to ₹8253.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1623.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹161.75 lakhs - due to non-payment of PRIS-I to Scientific and Technical staff and less tours undertaken.

(गा) मुख्य शीर्ष “3401” –

(क) “अनुसंधान और विकास – वीईसीसी के अनुसंधान केंद्र” – ₹10244.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1968.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹12212.00 लाख कर दिया गया, जो तथापि, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत भत्तों की अदायगी न किए जाने के कारण ₹160.24 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) “सामान्य सुविधाएं – खरीद और भंडारण निदेशालय” – ₹7800.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹8800.00 लाख कर दिया गया, जो रिक्त पदों को न भरे जाने और विभागीय आवास के अधिभोग में वृद्धि के कारण मकान किराया भत्ते के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण ₹103.99 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “2801” – “नाभिकीय विद्युत उत्पादन” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “ईंधन सूची – अन्य स्टेशनों के लिए पीएचडब्ल्यूआर ईंधन” – ₹110248.84 लाख की बचत (₹326775.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयतित ईंधन के मूल्य में कमी, सामग्री की प्राप्ति में विलंब, ईंधन मूल्यों में संशोधन के कारण हुई।

(खा) “अपशिष्ट प्रबंधन – एमएपीएस के लिए अतिरिक्त उन्नयन सुविधा के लिए प्रचालन व्यय” – ₹523.48 लाख की बचत (₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1200.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु निर्माण कार्यों, आपूर्तियों और सामग्रियों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(C) Major Head “3401” -

(a) “Research and Development - Research Centres of VECC” - the original provision of ₹10244.00 lakhs was augmented to ₹12212.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1968.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹160.24 lakhs - due to delay in receipt of consumable items.

(b) “Common Facilities-Directorate of Purchase and Stores” - the original provision of ₹7800.00 lakhs was augmented to ₹8800.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹103.99 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards house rent allowance owing to increase in occupation of departmental accommodation.

(III) Under Major Head “2801” - “Nuclear Power Generation” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Fuel Inventory - PHWR Fuel for other Stations” - saving of ₹110248.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹326775.00 lakhs) was due to decrease in price of imported fuel, delay in receipt of material and revision of fuel prices.

(B) “Waste Management - Operational Expenses for Additional Upgrading Facility for MAPS” - saving of ₹523.48 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1200.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh) was due to requirement of less funds towards minor works and supplies and materials.

(IV) मुख्य शीर्ष “2852” – “परमाणु ऊर्जा उद्योग” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “आइसोटोप – भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र” – ₹515.87 लाख की बचत (₹3443.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्टाफ को पीआरआईएस-फर्स्ट की अदायगी न किए जाने तथा छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) “सामान्य सुविधाएं”

(क) “भारी पानी संयंत्रों में आवासीय कालोनियों के लिए संपदा प्रबंधन” – ₹548.07 लाख की बचत (₹1677.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जो नवीनीकरण तथा मरम्मत कार्यकलापों के स्थगन के कारण हुई।

(ख) “एनएफसी की अन्य सामान्य सुविधाएं” – ₹748.66 लाख की बचत (₹5480.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जो आपूर्तियों तथा सामग्रियों और एनएफसी कालोनी में सड़कों का पुनर्निर्माण के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) “भारी पानी संयंत्र – एचडब्ल्यूबी के विविध प्रकार के कार्यकलाप” – ₹572.28 लाख की बचत (₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3649.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मनुगुरु में बोरोन संयंत्र का कम कार्यकलाप, लघु निर्माण कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा और तलचर में सीआईएसएफ की तैनाती न होने के कारण हुई।

(घा) “फास्फेटिक विरल तत्व निष्कर्षण – टीडीपी – एचडब्ल्यूबी (ओएंडएम)” – ₹739.79 लाख की बचत (₹1674.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आरसीएफ से फीड एसिड उपलब्ध न होने के कारण संयंत्र का प्रचालन न होने और संयंत्र में कार्यकलापों में कमी आने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “2852” - “Atomic Energy Industries” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Isotope-Bhabha Atomic Research Centre” - saving of ₹515.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3443.10 lakhs) was due to non-payment of PRIS-I to Scientific and Technical staff and requirement of less funds towards leave travel concession.

(B) “Common Facilities”-

(a) “Estate Management for Housing Colonies at Heavy Water Plants” - saving of ₹548.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1677.00 lakhs) was due to postponement of renovation and repair activities.

(b) “Other Common Facilities of NFC” - saving of ₹748.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5480.50 lakhs) was due to requirement of less funds towards supplies and materials, re-surfacing of roads in NFC colony and economy measures.

(C) “Heavy Water Plants - Diversified Activities of HWB” - saving of ₹572.28 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3649.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh) was due to less activities at Boron Plant, Manuguru, requirement of less funds towards minor works and non-materialization of CISF at Heavy Water Plant, Baroda & Talcher.

(D) “Phosphatic Rare Element Extraction (PREE) - TDP-HWB(O&M)” - saving of ₹739.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1674.00 lakhs) was due to non-operation of plant owing to non-availability of feed acid from RCF and reduction in activities at Plant.

(V) मुख्य शीर्ष “3401” – “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी” – ₹1942.85 लाख की बचत (₹4398.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंशदानों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

3. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹69745.86 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹68201.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2801” – “नाभिकीय विद्युत उत्पादन – अन्य व्यय” –

(क) “भारी पानी पूल प्रबंधन” – ₹6999.70 लाख।

(ख) “कुडनकुलम में निकट क्षेत्र विकास परियोजना” – ₹10899.60 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष “2852” – “परमाणु ऊर्जा उद्योग” –

(क) “नाभिकीय ईंधन परिसर – ईंधन फेब्रिकेशन सुविधाएं” – ₹28144.62 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹27442.00 लाख था।

(ख) “ईंधन पुनर्संसाधन – भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र” – ₹483.94 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹274.35 लाख था।

(ग) “आणविक पुनर्चक्र बोर्ड के लिए प्रचालन संयंत्र – ईंधन पुनर्चक्र तथा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा” – ₹642.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹600.73 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष “3401” –

(क) “अनुसंधान और विकास” –

(V) Major Head “3401” - “International Co-operation - International Atomic Energy Agency” - saving of ₹1942.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4398.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards contributions.

3. (I) The above savings were partly (₹69745.86 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹68201.00 lakhs - under the following major heads:-

(A) Major Head “2801” - “Nuclear Power Generation - Other Expenditure” -

(a) “Heavy Water Pool Management” - ₹6999.70 lakhs.

(b) “Neighbourhood Development Project in Kundankulam” - ₹10899.60 lakhs.

(B) Major Head “2852” - “Atomic Energy Industries” -

(a) “Nuclear Fuel Complex - Fuel Fabrication Facilities” - ₹28144.62 lakhs. Actual excess, however, was ₹27442.00 lakhs.

(b) “Fuel Reprocessing - Bhabha Atomic Research Centre” - ₹483.94 lakhs. Actual excess, however, was ₹274.35 lakhs.

(c) “Operating Plants for Nuclear Recycle Board - Fuel Recycle and Waste Management Facility” - ₹642.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹600.73 lakhs.

(C) Major Head “3401” -

(a) “Research and Development” -

- (i) “बीएआरसी के अनुसंधान केंद्र” – ₹6117.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5747.71 लाख था।
- (ii) “आईजीसीएआर के अनुसंधान केंद्र” – ₹4334.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4332.46 लाख था।
- (iii) “आरआरसीएटी के अनुसंधान केंद्र” – ₹4519.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4515.44 लाख था।
- (iv) “एएमडी के अनुसंधान केंद्र” – ₹3171.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3107.88 लाख था।
- (v) “स्वायत्त निकाय तथा अनुसंधान सहायता” – ₹1227.84 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹402.16 लाख था।
- (ख) “नियंत्रण और विनियामक कार्य – परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड” – ₹241.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹198.79 लाख था।
- (ग) “सामान्य सुविधाएं” –
- (i) “सामान्य सेवा संगठन कल्पकम” – ₹2391.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2366.24 लाख था।
- (ii) “निर्माण, सेवा तथा सम्पदा प्रबंधन निदेशालय” – ₹575.16.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹539.57 लाख था।
- (i) “Research Centres of BARC” - ₹6117.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5747.71 lakhs.
- (ii) “Research Centres of IGCAR” - ₹4334.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4332.46 lakhs.
- (iii) “Research Centres of RRCAT” - ₹4519.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4515.44 lakhs.
- (iv) “Research Centres of AMD” - ₹3171.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3107.88 lakhs.
- (v) “Autonomous Bodies and Research Support” - ₹1227.84 lakhs. Actual excess, however, was ₹402.16 lakhs.
- (b) “Control and Regulatory Functions - Atomic Energy Regulatory Board” - ₹241.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹198.79 lakhs.
- (c) “Common Facilities” -
- (i) “General Services Organisation, Kalpakkam” - ₹2391.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2366.24 lakhs.
- (ii) “Directorate of Construction, Services and Estate Management” - ₹575.16 lakhs. Actual excess, however, was ₹539.59 lakhs.
- (II) बचतों को मुख्य शीर्ष “2801” – “नाभिकीय विद्युत उत्पादन – ईंधन सूची – टीएपीएस के लिए बीडब्ल्यूआर ईंधन” – के अंतर्गत अधिक व्यय के द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था – ₹182.83 लाख का अधिक व्यय (₹1351.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दरों में उर्ध्वगामी संशोधन के कारण था।
- (II) Savings were also offset by excess under Major Head “2801” - “Nuclear Power Generation - Fuel Inventory -BWR Fuel for TAPS” - excess of ₹182.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1351.00 lakhs) was due to upward revision in rates.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, ₹50.00 लाख का विनियोग एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹11473.03 लाख) दिसम्बर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹37161.00 लाख के पूरक अनुदान का 31 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत है।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of ₹50.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹11473.03 lakhs) constituted 31 percent of the supplementary grants of ₹37161.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत— Saving - |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "4801" | Major Head "4801" | | | |
| विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय | Capital Outlay on Power Projects | | | |
| मू. | O. | 25507.00 | | |
| पू. | S. | 11343.00 | 68822.00 | 68768.27 |
| पु. | R. | 31972.00 | | -53.73 |
| मुख्य शीर्ष "4861" | Major Head "4861" | | | |
| परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय | Capital Outlay on Atomic Energy Industries | | | |
| मू. | O. | 419110.00 | | |
| पू. | S. | 2.00 | 390957.00 | 380642.79 |
| पु. | R. | -28155.00 | | -10314.21 |

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| मुख्य शीर्ष "5401" | Major Head "5401" | | | | |
| परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | Capital Outlay on Atomic Energy Research | | | | |
| मू. | O. | 185941.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 152940.00 | 151834.91 | -1105.09 |
| पु. | R. | -33002.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "6801" | Major Head "6801" | | | | |
| विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण | Loans for Power Projects | | | | |
| मू. | O. | 20000.00 | | | |
| पू. | S. | 25815.00 | 75000.00 | 75000.00 | .. |
| पु. | R. | 29185.00 | | | |

(I) ₹5007.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹5000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4801" – "नाभिकीय विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड" के अंतर्गत निवेश के लिए अनुमोदन न मिलने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹5007.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹5000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4801" - "Nuclear Power Generation - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Bharatiya Nabhikiya Vidhyut Nigam Limited" - due to non-receipt of approval for investment.

(II) मुख्य शीर्ष "4801" – "नाभिकीय विद्युत उत्पादन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(II) Under Major Head "4801" - "Nuclear Power Generation" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य व्यय" –

(A) "Other Expenditure" -

(क) "एएचडब्ल्यूआर के लिए अवसंरचना का विकास" – ₹1253.73 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, मैसर्स मैकोन और मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन को अनुमोदन न

(a) "Development of Infrastructure for AHWR" - saving of ₹1253.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to slow progress of works by Maharashtra Jeevan Pradhikaran, non-approval of MoU with M/s. MECON & M/s.

मिलने तथा फेब्रिकेशन कार्य के निष्पादन में विलंब के कारण हुई।

Bharat Heavy Electricals Ltd. and delay in execution of fabrication work.

(ख) “डीएई विद्युत परियोजना” – ₹1978.00 लाख की बचत (₹2100.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना की धीमी प्रगति के कारण हुई थी।

(b) “DAE Power Project” - saving of ₹1978.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was due to slow progress of the project.

(III) मुख्य शीर्ष “4861” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(III) Under Major Head - “4861” -savings occurred under the following heads:-

(का) “भारी पानी” –

(A) “Heavy Water”-

(क) “भारी पानी उत्पादन – भारी पानी का प्रचालन व्यय” – ₹8582.88 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹111018.20 लाख, के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एचडब्ल्यूपी, कोटा में बिजली तथा रसायानों की खपत के लिए कम निधियों की आवश्यकता, एचडब्ल्यूपी, थाल, में आरसीएफ द्वारा उपदान के दावे न होने, सीआईएसएफ की तैनाती न किए जाने और नए वाहनों की अधिप्राप्ति में विलंब के कारण हुई।

(a) “Heavy Water Production- Operational Exp. of Heavy Water” - saving of ₹8582.88 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹111018.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh) was due to requirement of less funds towards consumption of electricity and chemicals in HWP, Kota, non-claiming of Gratuity by RCF in HWP, Thal, non-deployment of CISF and delay in procurement of new vehicles.

(ख) “फीड स्टॉक सामग्री – एचडब्ल्यूपी से उत्पादन” – ₹4309.38 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹117400.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एचडब्ल्यूपी, मंनुगुरु और कोटा के संयंत्रों को बंद किए जाने के कारण हुई।

(b) “Feed Stock Materials - Production from HWPs” - saving of ₹4309.38 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹117400.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh) was due to shutting down of plants at HWP, Manuguru and Kota.

(ग) “भारी पानी संयंत्रों का सुधार/संशोधन – भारी पानी योजना परियोजनाएं” – ₹905.72 लाख की बचत (₹4620.00 लाख, के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयंत्र में ईपीसी कार्य के लिए आर्डर न दिए जाने, एचडब्ल्यूपी, तूतीकोरिन में परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियों में विलंब और एचडब्ल्यूपी में अवसंरचना सुधारों के कारण हुई।

(c) “Improvements/Modifications to Heavy Water Plants - Heavy Water Plan Projects” - saving of ₹905.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4620.00 lakhs) was due to non-materialisation of placement of order for EPC work at plant, delay in financial sanctions for projects at HWP, Tuticorin and infrastructure improvements at HWPs.

(खा) “अन्य”

(क) “थोरियम निष्कर्षण – डीईई परियोजनाएं” – ₹3989.20 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4889.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुमोदन मिलने में विलंब के कारण हुई।

(ख) “अपशिष्ट उपचार सुविधा – बार्क की अपशिष्ट उपचार परियोजनाएं” – ₹888.21 लाख की बचत (₹3449.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में सिविल निर्माण कार्यों को मूर्त रूप न दिए जाने, उपस्करों की अधिप्राप्ति में विलंब तथा निर्माण कार्य को स्थगित किए जाने के कारण हुई।

(ग) “भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र – विकसित ईंधन परियोजनाएं” – ₹15302.09 लाख की बचत (₹26251.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी एवं उपस्करों तथा आपूर्तियों और सामग्रियों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(घ) “नाभिकीय ईंधन परिसर – ईंधन फेब्रिकेशन परियोजनाएं” – ₹1281.43 लाख की बचत (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹15695.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल कार्य में अधिप्राप्ति कार्यकलापों के स्थगन और व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान में विलंब के कारण हुई।

(ङ) “ईंधन पुनर्संसाधन” –

(i) “बार्क ईंधन पुनर्संसाधन परियोजनाएं” – ₹152.44 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) “Others” -

(a) “Thorium Extraction - DAE Projects” - saving of ₹3989.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4889.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh) was due to delay in receipt of approvals.

(b) “Waste Treatment Facility - Waste Treatment Project of BARC” - saving of ₹888.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3449.00 lakhs) was due to non materialization of civil works, delay in procurement of equipments and postponement of construction work.

(c) “Bhabha Atomic Research Centre - Advanced Fuel Projects” - saving of ₹15302.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26251.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards machinery and equipments and supplies and materials.

(d) “Nuclear Fuel Complex- Fuel Fabrication Projects” - saving of ₹1281.43 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15695.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakhs) was due to deferment of procurement activities in civil work and delay in payment for professional services.

(e) “Fuel Reprocessing” -

(i) “Fuel Reprocessing Projects of BARC” - saving of ₹152.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-finalization of works.

- (ii) “आईजीसीएआर की ईंधन पुनर्संसाधन परियोजनाएं” – ₹602.23 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वीकृत परियोजनाओं के स्थगन के कारण हुई।
- (ii) “Fuel Reprocessing Projects of IGCAR” - saving of ₹602.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to deferment of sanctioned project.
- (च) “विकिरण – विकिरण और आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड” – ₹6886.61 लाख की बचत (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12450.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्यात की स्वीकृत न होने, अधिक मूल्य के परेषण न आने और उपस्करों की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (f) “Radiation - Board of Radiation and Isotope Technology” - saving of ₹6886.61 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12450.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh) was due to non-clearance of export, non-arrival of high value consignment and non-finalization of procurement of equipments.
- (छ) “नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड – बैक एंड ईंधन चक्रण परियोजनाएं” – ₹19503.46 लाख बचत (₹53900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति, निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब और मौसम परिस्थितियों के कारण विदेशी पारेषण के स्थगन के कारण हुई।
- (g) “Nuclear Recycle Board - Back End Fuel Cycle Projects” - saving of ₹19503.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹53900.00 lakhs) was due to slow progress of work, delay in finalisation of tenders and deferment of foreign consignment owing to weather conditions.
- (IV) मुख्य शीर्ष “5401” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-
- (IV) Under Major Head - “5401” - savings occurred under the following heads:-
- (का) “भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र – बेसिक विज्ञान और इंजीनियरी में अनुसंधान तथा विकास” – ₹2165.86 लाख की बचत (₹0.34 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹71432.34 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मदों/उपस्करों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।
- (A) “Bhabha Atomic Research Centre-Research and Development in Basic Sciences and Engineering”- saving of ₹2165.86 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹71432.34 lakhs including token supplementary grant of ₹0.34 lakh) was due to delay in procurement of items/ equipments.
- (खा) “इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र – रिएक्टर प्रचालन और संसाधन प्रबंधन” – ₹1830.56 लाख की बचत (₹0.33 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹26030.33 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों की सुपुर्दगी में विलंब होने के कारण हुई।
- (B) “Indira Gandhi Centre for Atomic Research - Reactor Operation and Resources Management”- saving of ₹1830.56 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹26030.33 lakhs including token supplementary grant of ₹0.33 lakh) was due to delay in delivery of equipments.
- (गा) “आवास – अवसंरचना विकास परियोजनाएं” – ₹7589.63 लाख की बचत (₹22015.00 लाख के स्वीकृत
- (C) “Housing- Infrastructure Development Projects”- saving of ₹7589.63 lakhs (against the

प्रावधान की तुलना में) हॉस्टल, अतिथि गृह के मौजूदा संविदा कार्य की समाप्ति का अनुमोदन न मिलने तथा अन्य निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(घा) “अन्य अनुसंधान सुविधाएं” –

(क) “अन्वेषण और खनन अनुसंधान” – ₹2088.34 लाख की बचत (₹9252.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमएस मदों को मूर्त रूप न देने, संविदागत सेवाओं, बड़े कार्यों के लिए निधियों की कम आवश्यकता, सिविल कार्यों के बड़े कामों और निष्पादन की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(ख) “एक्सीलेटर के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी” – ₹3267.46 लाख की बचत (₹7750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण की धीमी गति तथा विभिन्न इलेक्ट्रानिक मदों के क्रय आदेश जारी किए जाने में विलंब के कारण हुई।

(ड) “अन्य व्यय” –

(क) “एईआरबी विस्तार परियोजना” – ₹1180.75 लाख की बचत (₹2724.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति, उत्तर क्षेत्रीय एनआरसीसी के लिए भूमि की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) “विकास कार्यक्रम” – ₹16052.33 लाख की बचत (₹31435.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना कार्यों की धीमी प्रगति के कारण हुई।

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹93241.80 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹37159.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

sanctioned provision of ₹22015.00 lakhs) was due to non-approval for termination of existing contract-work of hostel, guest house and slow progress of other works.

(D) “Other Research Facilities” -

(a) “Research in Exploration and Mining” - saving of ₹2088.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9252.00 lakhs) was due to non-materialisation of MS items, requirement of less funds towards contractual services, major works and slow progress in execution of civil works.

(b) “Advance Technology for Accelerator” - saving of ₹3267.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7750.00 lakhs) was due to slow progress of construction of electrical sub-station and delay in releasing the purchase order for various electronic items.

(E) “Other Expenditure” -

(a) “AERB Expansion Project” - saving of ₹1180.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2724.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement of software and purchase of land for Northern Regional Regulatory Centre (NRCC).

(b) “Development Programme” - saving of ₹16052.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31435.00 lakhs) was due to slow progress of project works.

6. The above savings were partly (₹93241.80 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹37159.00 lakhs under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "4801" – "नाभिकीय विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड" – ₹40157.00 लाख।

(II) मुख्य शीर्ष "4861" – "अन्य – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड" – ₹23899.80 लाख।

(III) मुख्य शीर्ष "6801" – "नाभिकीय विद्युत उत्पादन – भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड" – ₹29185 लाख।

(I) Major Head "4801"- "Nuclear Power Generation - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Nuclear Power Corporation of India Limited" - ₹40157.00 lakhs.

(II) Major Head "4861" - "Others - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Uranium Corporation of India Limited" - ₹23899.80 lakhs.

(III) Major Head "6801" - "Nuclear Power Generation - Loans to Nuclear Power Corporation of India Limited" - ₹29185.00 lakhs.
